न्यायालय एकल माध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

आर्बिट्रेशन प्रकरण सं. 49/2022

प्रार्थीगण–

1. विनेसर, हुसैन, हसन, रहमान पि0हासम
2. हबीबखान, फजलखान, फरीदखान, रहमानखां, सिकेन्द्रखान पि0 रमदान
3. बच्चू, सच्चू, मुराद पि0 दाऊ
4. अलादीन, शौकत, खानू, हनीफ पि0तैयब
5. साजन वल्द जमाल
6. नवाब वल्द अदलु
7. ईमाम, भीखा, कासम, रोशन, ऐसान पि0 कमाल
8. ईशाक वल्द अरबाब
9. सफी मोहम्मद वल्द ताज मोहम्मद
10. जीयण पुत्र माझी
11. गफूरखां पुत्र सिंघल
12. कलाखां वल्द सचू
13. कासम वल्द रूमाली
14. अकबर वल्द साले मोहम्मद
15. हासल पुत्र दीनू के कायम मुकाम– सलीम पुत्र हासल, अजरूदीन पुत्र फरीद (पुत्र हासल)
16. अमर वल्द रमधान
17. शेरखां, बाधाखां पि0 दीनू खां
18. हनीफ खां, अमीन, अकबर पि0 अलीखां
19. हासम पुत्र वली के कायम मुकाम– हैयात, सलेम, रसीद पि0 हासम
20. सुरतान,मियाजल,बच्चू, सलीम पि0 वली
21. अनवर वल्द हैदर
22. मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद अहमद

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर
2. परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, बलदेव नगर बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:38 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

23. गफूर पुत्र हैदर
    समस्त जाति मुसलमान निवासी
    कंटलिया का पार (गागरीया) तहसील
    रामसर जिला बाड़मेर
24. कालूसिंह पुत्र बींजराजसिंह जाति
    राजपूत निवासी कंटलिया का पार
25. ईश्वरसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत
    निवासी कंटलिया का पार, गागरीया
    तहसील रामसर जिला बाड़मेर

आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) की उपधारा (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.04.2022 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) रामसर द्वारा प्रकरण सं. 01/2022 में माननीय उच्च न्यायालय की याचिका सं. 14384/2021 के निर्देशानुसार अंतिम एवार्ड दिनांक 17.06.2019 एवं दिनांक 06.02.2020 के संबंध में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2 के प्रतिनिधि उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

माध्यस्थम पंचाट

दिनांक : 06.06.2022

1. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 925 गागरीया से बाखासर हेतु अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ग्राम कंटलिया का पार के विभिन्न खसरों की भूमि जो प्रार्थीगण द्वारा धारित की जा रही थी, की राजमार्ग परियोजना हेतु अवाप्त की गई तथा इस हेतु अवार्ड दिनांक 17.06.2019 एवं 06.02.2020 को पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवार्ड के द्वारा परियोजना ... मुआवजा एवं उस पर अवस्थित परिसम्पतियों के मूल्य का आंकलन कराते हुए उनका मुआवजा निर्धारित किया गया। इस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त दोनो अवार्ड को भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:38 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अर्जन एवं उचित प्रतिकर अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत संशोधित कर यथेचित कार्यवाही करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2021 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण के अनुसार उक्त आवेदन–पत्र पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस0बी0 सिविल रिट याचिका सं. 14364/2021 चनेसर वगैरह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 21.10.2021 पारित करते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर स्पीकिंग आदेश पारित किया जावें। इस पर अप्रार्थी सं. 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के प्रतिवेदन पर आदेश दिनांक 11.04.2022 पारित करते हुए प्रकरण में पारित अवार्ड दिनांक 17.06.2019 एवं 06.02.2020 को विधि सम्मत एवं न्यायोचित मानते हुए खारिज किया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.05.2022 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र पर तकनीकी बिन्दुओं एवं मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया।

3. प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के प्रतिनिधि को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन हैं कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवेच्य आदेश दिनांक 11.04.2021 पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं। उक्त आदेश में बिना किसी विवेचना के पूर्व में पारित अंतिम एवार्ड दिनांक 17.06.2019 एवं 06.02.2020 को यथावत रखा गया है और [illegible] एवार्ड राशि को बढ़ाने तथा अन्य बिन्दुओं की विधि अनुसार समाधान न करने से उक्त विवेच्य आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:38 IST
Reason: SelfAttested

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.10.2021 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि अप्रार्थी सं. 1 सक्षम प्राधिकारी प्रार्थीगण के प्रतिवेदन पर स्वीकिंग ऑर्डर पारित करें, किन्तु विवेच्य आदेश में किसी प्रकार का न्यायिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में पारित अवार्ड आदेशों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण में जो विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई थी उसे संशोधन करने हेतु प्रतिवेदन दिनांक 07.09.2021 में ठोस तथ्य एवं प्रमाण प्रस्तुत किये गये थे। प्रार्थीगण ग्राम कंटलिया का पार की अवाप्त भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं जो जरिये पंजीबद्ध विक्रय–पत्र एवं विरासत से खातेदार दर्ज हुए हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि की अवाप्ति के फलस्वरूप प्रतिकर की राशि के निर्धारण हेतु कृषि भूमि की प्रति बीघा डीएलसी दर अंकित की गई हैं जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि विगत अनेक वर्ष से यह भूमि कृषि कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं। उक्त भूमि का मौके पर छोटे–छोटे भू–भागों में विभक्त होकर व्यवसायिक, आवासीय, संस्थानिक आदि कार्यो में उपयोग हो रहा हैं एवं इसी अनुसार मूल्य निर्धारण किया जाना नियमानुसार वांछित हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूखण्डों के खरीद के समय जो स्टाम्प ड्युटी उप पंजीयक को भुगतान की गई हैं तत्समय जो बाजार मूल्य आकलन किया गया था उसी अनुसार प्रार्थीगण मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण भूमि अवाप्ति के कारण विस्थापित हो रहे हैं तो उनके उचित प्रतिकर के साथ–साथ पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु भी सरकार का दायित्व हैं, किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव या प्रयास नहीं किया गया हैं। इस आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर विवेच्य आदेश दिनांक 11.0[illegible] खारिज कर संशोधित एवार्ड पारित करने का आदेश पारित [illegible]।

4. अप्रार्थी सं. 2 के प्रतिनिधि द्वारा जवाब में प्रकट किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 925 गागरीया से बाखासर हेतु अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:38 IST
Reason: SelfAttested

कंटलिया का पार के विभिन्न खसरों की भूमि जो प्रार्थीगण द्वारा धारित की जा रही थी, की राजमार्ग परियोजना हेतु अवाप्त की गई तथा इस हेतु अवार्ड दिनांक 17.06.2019 एवं 06.02.2020 को पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवार्ड के द्वारा परियोजना में आने वाली भूमि के मुआवजा एवं उस पर अवस्थित परिसम्पतियों के मूल्य का आकलन कराते हुए उनका मुआवजा नियमानुसार निर्धारित किया गया। इस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त दोनो अवार्ड को भूमि अर्जन एवं उचित प्रतिकर अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत संशोधित कर यथेचित कार्यवाही करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2021 प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम एवार्ड पारित करते हुए मुआवजा दावों का निर्धारण कर लिया गया था तब प्रार्थीगण को नियमानुसार निर्धारित मयाद अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष केवल अवार्ड पारित करने में हुई गणितीय एवं लिपिकीय त्रुटियों के परिमार्जन के लिये ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था जबकि प्रार्थीगण द्वारा अवार्ड की मेरीट पर पुर्नविचार करने एवं मुआवजा निर्धारण को संशोधित करने का निवेदन किया गया हैं जो विधि अनुकूल नहीं होने से आलौच्य आदेश के द्वारा प्रार्थीगण के प्रतिवेदन को खारिज किया गया हैं। इस आदेश के विरूद्ध यह आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज काबिल हैं क्योंकि यह न्यायालय केवल मूल अवार्ड आदेश के विरूद्ध ही माध्यस्थ के रूप में मुआवजा के निर्धारण में उचित निष्कर्ष पारित कर सकता हैं। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से चलने योग्य नहीं होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज [illegible] जो खारिज फरमाया जावें।

5. हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 2 के प्रतिनिधि द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे पाया जाता हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 925 गागरीया से

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर

बाखासर हेतु अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ग्राम कंटलिया का पार के विभिन्न खसरों की भूमि जो प्रार्थीगण द्वारा धारित की जा रही थी, की राजमार्ग परियोजना हेतु अवाप्त की गई तथा इस हेतु अवार्ड दिनांक 17.06.2019 एवं 06.02.2020 को पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवार्ड के द्वारा परियोजना में आने वाली भूमि के मुआवजा एवं उस पर अवस्थित परिसम्पतियों के मूल्य का आकलन कराते हुए उनका मुआवजा निर्धारित किया गया। इस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त दोनो अवार्ड को भूमि अर्जन एवं उचित प्रतिकर अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत संशोधित कर यथेचित कार्यवाही करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2021 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र में अवाप्त की जाने वाली भूमि के मुआजवा हेतु बाजार दर निर्धारण के निश्चय पर पुर्नविचार करने का निवेदन किया गया हैं जबकि एक बार मुआवजा निर्धारण का अंतिम अवार्ड पारित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) का क्षेत्राधिकार नहीं रहता हैं। सक्षम प्राधिकारी के अंतिम अवार्ड आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण को निर्धारित समयावधि के भीतर इस न्यायालय के सक्षम आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र अथवा सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रेफरेंस प्रार्थना–पत्र के द्वारा ही चाराजोही करनी चाहिए थी। हस्तगत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अवार्ड दिनांक 17.06.2019 एवं 06.02.2020 को पारित किये गये हैं जिनके विरूद्ध प्रार्थीगण के द्वारा निर्धारित मयाद अवधि के भीतर कोई आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र एवं रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसे में महज प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवार्ड में मुआवजा निर्धारण को संशोधन करने का निवेदन किया गया हैं जिस पर सक्षम प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार नहीं होने से आलौच्य आदेश दिनांक [illegible].04.2022 के द्वारा प्रतिवेदन अस्वीकार किया गया हैं। इस आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। जहाँ तक अवाप्ताधीन भूमि पर उप पंजीयक रामसर द्वारा प्रार्थीगण के क्रय दस्तावेजों पर अधिरोपित मुद्रांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:38 IST
Reason: SelfAttested

शुल्क आशयित उपयोग अनुसार अधिरोपित की गई है जो कि करापवंचन को रोकने से संबंधित प्रावधान है। इसी क्रम में प्रार्थी को भी अपने भूखण्ड का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विधिसम्मत तरीके से प्रार्थना–पत्र एवं नियत शुल्क अदा कर अकृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्राप्त की जानी चाहिये थी। प्रार्थी के अवैध उपयोग को किसी भी रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है तथा भूमि की जो किस्म राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित है उसी अनुसार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित आधार विधिसम्मत नहीं होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

7. आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
एकल माध्यस्थ
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:28:38 IST
Reason: SelfAttested